राज्य स्तरीय समिति, उत्तर प्रदेश

(माननीय उच्चतम न्यायालय की सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी द्वारा रिट याचिका संख्या–202/1995 आई0ए0 संख्या 1399 के अन्तर्गत गठित)

अरण्य विकास भवन, 21/475, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016 फोन/फैक्स नं0 0522–2716602 Email-slcupstate@gmail.com

विनियर/प्लाईवुड इकाईयों के लिये महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या–202/95 टी0एन0 गोडावर्मन थिरुमलकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा आई0ए0 संख्या–1399 में दिनांक 01.09.2006 एवं 18.05.2007 को पारित आदेश के कम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार विनियर/प्लाईवुड इकाईयों की सूची वन विभाग, उ0प्र0 के वेबसाइट http://forest.up.nic.in/ पर प्रकाशित की गयी है। उ0प्र0 मे स्थित ऐसी विनियर/प्लाईवुड इकाईयां जिनका नाम उक्त सूची में नहीं है और उनके द्वारा अभी तक राज्य स्तरीय समिति को अपनी इकाई के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गयी है, को सूचित किया जाता है कि वे सेन्ट्रल इम्पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार अपनी इकाई के सम्बन्ध में उद्योग विभाग एवं व्यापार कर विभाग में रजिस्ट्रेशन, वन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र, व्यापार कर एवं आयकर विभाग में दायर रिर्टन, मशीनरी क्रय के बिल एवं अन्य अभिलेख जिससे इकाई की स्थापना एवं उत्पादन सिद्व होता हो की प्रतियों के साथ अपनी इकाई को इस सूची में सम्मिलित करने हेतु आवेदन प्रत्येक स्थिति में दिनांक 28.02.2010 की सांयकाल 5 बजे तक (अवकाश की तिथियों को छोड़कर) अधोहस्ताक्षरी को रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से उपलब्ध करा दें। यदि इस तिथि तक इकाई के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती है तो भविष्य मे इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(सी0पी0 गोयल)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति,
उ0प्र0, लखनऊ